मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6300 / NREGS-MP/NR-17 / 10 भोपाल, दिनांक 25/06/10

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यकम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना--म.प्र.
जिला-- समस्त (म.प्र.)

विषय--महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना--मध्यप्रदेश के अंतर्गत "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन में संशोधन बावत।

संदर्भ -- 1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्र 6673 / 22 / वि--7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 दिनांक 20.04.2007
2. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्र 2402 / 22 / वि--7 / ग्रा.रो. / 2006 दिनांक 22.02.2006

--0--

संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। परिपत्र क्रमांक 6673 की कण्डिका 4.5.3 पैरा--2 एवं परिपत्र 2402 की कण्डिका 8 में वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए Barbed Wire की फेंसिंग का प्रावधान था।

नंदन फलोद्यान उपयोजनांतर्गत कुछ जिलों में वृक्षारोपण की लागत में वृद्धि Barbed Wire फेंसिंग के कारण परिलक्षित हुई है। एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के दिशा--निर्देशों के अनुरूप 60:40 का अनुपात संधारित न होने के कारण Barbed Wire फेंसिंग के प्रावधान को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए पौधों की सुरक्षा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों की बागड़ या बांस के ट्री गार्ड लगाकर अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सी.पी.टी. खोदकर या स्थानीय स्तर पर पत्थर उपलब्ध होने पर सी.पी.डब्ल्यू. बनाकर की जावे।

योजनांतर्गत यह भी अपेक्षित है कि हितग्राही अथवा हितग्राही समूह उक्त तरीकों से Fencing कर स्वयं पौधों की हिफाजत करें। ऐसा करने से उनकी Ownership तथा योजना के उद्देश्यों पर Commitment (प्रतिबद्धता) भी बढेगी ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न --
संदर्भित परिपत्र 1 एवं 2

(आर.परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

10 Jiun 2010 letter.doc